अनुदान संख्या 36 - राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को अंतरण
GRANT No. 36–TRANSFERS TO STATE AND UNION TERRITORY GOVERNMENTS

(हजार रुपयों में)
(In thousands of rupees)

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
राजस्व:	**Revenue:**				
प्रभारित-	*Charged–*				
मूल	*Original*	*25874,41,00*	*25874,42,00*	*25133,91,00*	*–740,51,00*
पूरक	*Supplementary*	*1,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*740,51,00*
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	30045,33,00	32529,16,00	31422,81,55	–1106,34,45
पूरक	Supplementary	2483,83,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1100,00,00
पूंजीगत:	**Capital:**				
प्रभारित-	*Charged–*				
मूल	*Original*	*1000,00,00*	*5674,00,00*	*5323,47,30*	*–350,52,70*
पूरक	*Supplementary*	*4674,00,00*			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*350,00,00*

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के *प्रभारित* अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the *charged* portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3601" *राज्य सरकारों को सहायता अनुदान (प्रभारित)*	Major Head "3601" *Grants-in-aid to State Governments (Charged)*				
मू.	*O.*	*2587441.00*	*2513391.00*	*2513391.00*	. .
पू.	*S.*	*1.00*			
पु.	*R.*	*–74051.00*			

(I) *"योजनेतर अनुदान - संविधान के अनुच्छेद 275 (I) के परंतुक के अधीन अनुदान (प्रभारित)"* के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) *"आपदा राहत निधि को अंशदान" - 33538.20 लाख* रु. की बचत (*295832.00 लाख* रु. के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) अनुदान जारी किए जाने संबंधी शर्तें पूरी न किए जाने की वजह से राज्य सरकारों को कम अनुदान जारी किए जाने के कारण हुई।

(खा) *"स्थानीय निकायों के लिए अनुदान"- 135861.80 लाख* रु. की बचत (*500000.00 लाख* रु. के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) उपयोग प्रमाण पत्रा और राज्यों द्वारा स्थानीय निकायों के चुनाव समय पर कराए जाने संबंधी सूचना प्रस्तुत न किए जाने के कारण हुई।

(गा) *"शिक्षा क्षेत्रा के लिए सहायता अनुदान"- 3245.00 लाख* रु. की बचत (*168623.00 लाख* रु. के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) हुई; और

(घा) *"वनों के अनुरक्षण के लिए सहायता अनुदान"- 2100.00 लाख* रु. की बचत (*20000.00 लाख* रु. के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्य सरकारों से उपयोग प्रमाण-पत्रों के प्राप्त न होने के कारण हुईं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से *(46147.00 लाख रु.)* प्रयुक्त हो गईं जैसा कि *"योजनेतर अनुदान - संविधान के अनुच्छेद 275(I) के परंतुक के अधीन अनुदान (प्रभारित) - प्रोत्साहन निधियों को केंद्र का अंशदान"* के अंतर्गत अगस्त, 2005 में *1.00 लाख* रु. का सांकेतिक पूरक *विनियोग* प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

(II) बचतें *"योजनेतर अनुदान- संविधान के अनुच्छेद 275(I) के परंतुक के अधीन अनुदान (प्रभारित)"* के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) *"राजस्व लेखे के घाटे को पूरा करने के लिए अनुदान"- 53547.00 लाख* रु. का अधिक व्यय

(I) Under *"Non-Plan Grants-Grants under the Proviso to Article 275(1) of the Constitution (Charged)"*- savings occurred under the following heads:-

(A) *"Contribution to Calamity Relief Fund"* - saving of *Rs. 33538.20 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.295832.00 lakhs*) was due to less release to State Governments owing to non-fulfillment on conditions for release.

(B) *"Grants for Local Bodies"*- saving of *Rs.135861.80 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.500000.00 lakhs*) was due to non-furnishing of utilisation certificates and information regarding holding of local bodies election by States in time.

(C) *"Grants-in-aid for Education Sector"* - saving of *Rs.3245.00 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.168623.00 lakhs*); and

(D) *"Grants-in-aid for Maintenance of Forests"* - saving of *Rs.2100.00 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.20000.00 lakhs.*

Savings under the above two heads were due to non-receipt of utilisation certificates from State Governments.

2.(I) The above savings were partly *(Rs.46147.00 lakhs)* utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary *appropriation* of *Rs.1.00 lakh* in August, 2005 under *"Non Plan Grants - Grants Under the Proviso to Article 275(1) of the Constitution (Charged) - Centre's Contribution to Incentive Funds".*

(II) Savings were also offset by excess under *"Non-plan Grants – Grants under the Proviso to Article 275(1) of the Constitution (Charged)"* under the following heads:-

(A) *"Grants to cover deficits on Revenue Account"*- excess of *Rs.53547.00 lakhs* (against

(*1509186.00 लाख* रु. के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार कुछ राज्य राजस्व घाटा अनुदान का 15 प्रतिशत प्राप्त करने के पात्रा थे, जिसे पहले रोक दिया गया था, के कारण हुई।

(खा) *''राज्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए सहायता अनुदान''- 1000.00 लाख* रु. का अधिक व्यय (शून्य *विनियोग* की तुलना में) बांस परियोजना के लिए पूर्वोत्तर राज्यों को निधि उपलब्ध कराने के कारण हुआ।

3. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, कुल बचतें (110634.45 लाख रु.) अगस्त, 2005 , दिसंबर, 2005 और मार्च, 2006 में प्राप्त किए गए 248383.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 45 प्रतिशत और कुल स्वीकृत प्रावधान का 3 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

the sanctioned *appropriation* of *Rs.1509186.00 lakhs*) was due to recommendations of Eleventh Finance Commission, some States were eligible to get 15 percent of Revenue Deficit Grant which was withheld earlier.

(B) *"Grants-in-aid for States Specific needs"* - excess of *Rs.1000.00 lakhs* (against *nil appropriation*) was due to providing fund to North Eastern States for bamboo project.

3. In the voted portion of the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.110634.45 lakhs) constituted 45 percent of the supplementary grants of Rs.248383.00 lakhs obtained in August, 2005, December, 2005 and March, 2006 and 3 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''2075'' विविध सामान्य सेवाएं	Major Head "2075" Miscellaneous General Services				
मू.	O.	10000.00	23093.00	23093.00	. .
पु.	R.	13093.00			
मुख्य शीर्ष ''2245'' प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	Major Head "2245" Relief on Account of Natural Calamities				
मू.	O.	310000.00	589278.00	588643.96	–634.04
पू.	S.	63734.00			
पु.	R.	215544.00			
मुख्य शीर्ष ''3601'' राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	2652033.00	2498045.00	2498044.59	–0.41
पू.	S.	184649.00			
पु.	R.	–338637.00			

(I) 612000.00 लाख रु. का प्रावधान मुख्य शीर्ष "3601" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत तीन मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) "योजनेतर अनुदान - अन्य प्रशासनिक सेवाएं - केंद्रीय अधिनियमों और विनियमों को लागू करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अदायगी - मूल्यवर्धित कर संबंधी व्यय के लिए राज्यों को अनुदान"- 2000.00 लाख रु. राज्य सरकारों से आवश्यकता प्राप्त न होने के कारण थे।

(खा) "राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान - एकमुश्त अनुदान"-

(क) "घरेलू विद्युतीकरण"- 110000.00 लाख रु. स्कीम का अंतरण राज्य क्षेत्रा से केंद्रीय क्षेत्रा को किए जाने के कारण थे।

(ख) "पिछड़े जिले/क्षेत्रा निधि"- 500000.00 लाख रु. आर्थिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा पिछड़े जिले क्षेत्रा निधि स्कीम को अनुमोदन प्रदान किए जाने में विलंब होने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष "3601" - "राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान - एकमुश्त अनुदान" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत भी हुईं:-

(का) "सामान्य केंद्रीय सहायता"- 172775.08 लाख रु. की बचत (1354128.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उपलब्धि में गिरावट आने की वजह से केंद्रीय सहायता में कटौती किए जाने, पिछले वर्षों का लेखापरीक्षित व्यय प्रस्तुत न किए जाने और विभागीय वास्तविक आंकड़े/अनुमानित योजना व्यय प्रस्तुत न किए जाने के कारण हुई।

(खा) "विशेष योजना सहायता"- 5372.90 लाख रु. की बचत (191000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना आयोग द्वारा प्रावधान में कमी किए जाने के कारण हुई।

(गा) "किशोरियों के लिए पोषण कार्यक्रम"- 10092.29 लाख रु. की बचत (16297.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) महिला और बाल विकास विभाग,

(I) Provision of Rs.612000.00 lakhs remained wholly unutilised in three cases under Major Head "3601" under the following heads:-

(A) "Non-Plan Grants - Other Administrative Services - Payment to States/ Union Territories for Administrations of Central Acts and Regulations - Grants to States for VAT related expenditure"-Rs.2000.00 lakhs - due to non-receipt of requirement from State Governments.

(B) "Grants for State Plan Schemes - Block Grants"-

(a) "Household Electrification" - Rs.110000.00 lakhs - due to transfer of scheme from State Sector to Central Sector.

(b) "Backward Districts/Area Fund"- Rs.500000.00 lakhs - due to delay in approval of Backward Districts Area Fund Scheme by the Cabinet Committee on Economic Affairs.

(II) Under Major Head "3601" - "Grants for State Plan Schemes - Block Grants" - savings also occurred under the following heads:-

(A) "Normal Central Assistance"-saving of Rs.172775.08 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1354128.00 lakhs) was due to cut in Central Assistance owing to short fall in achievement, non-submission of Audited figure for expenditure for the previous years and non-submission of departmental actuals/anticipated plan expenditure.

(B) "Special Plan Assistance"-saving of Rs.5372.90 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.191000.00 lakhs) was due to reduction of provision by the Planning Commission.

(C) "Nutrition Programme for Adolescent Girls (NPAG)"- saving of Rs.10092.29 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.16297.00

मानव संसाधन विकास मंत्रालय से कम सिफारिशें प्राप्त होने के कारण हुई।

lakhs) was due to less recommendations received from Department of Women and Child Development, Ministry of Human Resource Development.

(घा) ''राष्ट्रीय ई-अभिशासन कार्य योजना''- 358.85 लाख रु. की बचत (30000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से कम सिफारिशें प्राप्त होने के कारण हुई।

(D) "National E-Governance Action Plan (NEGAP)"-saving of Rs.358.85 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.30000.00 lakhs) was due to less recommendations from the Ministry of Information Technology.

(ङ) ''शहरी अवसंरचना और परिवहन पर शहरी नवीनीकरण प्रस्तुति''- 84996.93 लाख रु. की बचत (102755.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आर्थिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा स्कीम को अनुमोदन प्रदान करने में विलंब होने के कारण हुई।

(E) "Urban Renewal Submission on Urban Infrastructure and Transport" - saving of Rs.84996.93 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.102755.00 lakhs) was due to delay in approval of scheme by the Cabinet Committee on Economic Affairs.

(चा) ''गंदी बस्ती के विकास के लिए शहरी नवीनीकरण प्रस्तुति'' - 51747.58 लाख रु. की बचत (58962.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों से कम सिफारिशें प्राप्त होने के कारण हुई।

(F) "Urban Renewal Submission for Slum Development" - saving of Rs.51747.58 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.58962.00 lakhs) was due to less recommendations received from the concerned Central Ministries.

4.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (199675.24 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान - एकमुश्त अनुदान - विकास और सुधार सुविधा/राष्ट्रीय सम विकास योजना'' के अंतर्गत 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

4.(I) The above savings were partly (Rs.199675.24 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs. 1.00 lakh under Major Head "3601" - "Grants for State Plan Schemes - Block Grants - Development and Reform Facility/ Rashtriya Sam Vikas Yojana (RSVY)".

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष ''2075'' - ''बट्टे-खाते डाले गए अशोध्य कर्ज - बट्टे खाते डाले गए राज्य सरकारों को दिए गए कर्ज'' - 13093.00 लाख रु. का अधिक व्यय (10000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ग्यारहवें वित्त आयोग की स्कीम के अंतर्गत सामान्य ऋण राहत के लिए छह राज्यों के अर्हक होने के कारण हुआ।

(A) Major Head "2075" - "Irrecoverable Loans Written off - Loans to State Governments Written Off" - excess of Rs.13093.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.10000.00 lakhs) was due to six States had qualified for General Debt Relief under the scheme of Eleventh Finance Commission.

(खा) मुख्य शीर्ष ''2245'' - ''सामान्य''-

(B) Major Head "2245"-"General" -

(क) ''राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से राज्यों को सहायता - गंभीर स्वरूप की आपदाओं के लिए

(a) "Assistance to States from National Calamity Contingency Fund - Assistance

राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से राज्यों को सहायता'' - 92409.96 लाख रु. का अधिक व्यय (63734.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 213734.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ख) ''आरक्षित निधियों और जमा लेखे को अंतरण - राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि को अंतरण''- 122500.00 लाख रु. का अधिक व्यय (160000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रीय आपदा के कारण अतिरिक्त आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष ''3601''-

(क) ''योजनेतर अनुदान - सामाजिक सेवाएं - मकबरों, मंदिरों आदि का रख-रखाव - स्वर्ण मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए गलियारा परियोजना के लिए राज्य को अनुदान''- 1375.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) गलियारा परियोजना के लिए निधियां जारी किए जाने के कारण हुआ।

(ख) ''राज्य योजना स्कीमों के लिए अनुदान - एकमुश्त अनुदान''-

(i) ''बाह्य सहायताप्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता''- 207729.39 लाख रु. का अधिक व्यय (58733.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सहायता लेखा और लेखापरीक्षा नियंत्राक द्वारा संस्तुत बाह्य सहायताप्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के अंतर्गत आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(ii) ''अन्य परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता''- 51751.04 लाख रु. का अधिक व्यय (27248.00 लाख रु. के पूरक प्रावधान की तुलना में) जम्मू और कश्मीर और कर्नाटक को निधियां

to States from National Calamity Contingency Fund for Calamities of severe nature"- excess of Rs.92409.96 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.213734.00 lakhs including supplementary grant of Rs.63734.00 lakhs); and

(b) "Transfer to the Reserve Funds and Deposit Account - Transfer to National Calamity Contingency Fund"- excess of Rs. 122500.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.160000.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to additional requirement on account of National Calamity in Jammu and Kashmir.

(C) Major Head "3601" -

(a) "Non Plan Grants - Social Services - Upkeep of Shrines, Temples etc. - Grant to State for Galihara project for beautification of Golden Temple" - excess of Rs.1375.00 lakhs (against nil provision) was due to release of funds for Galihara Project.

(b) "Grants for State Plan Schemes - Block Grants" -

(i) "Additional Central Assistance for Externally Aided Projects"-excess of Rs.207729.39 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.58733.00 lakhs) was due to requirement under Additional Central Assistance for Externally Aided Projects recommended by Controller of Aid Accounts and Audit.

(ii) "Additional Central Assistance for Other Projects" - excess of Rs.51751.04 lakhs (against the supplementary provision of Rs.27248.00 lakhs) was due to recommendations of Planning Commission

जारी करने के लिए योजना आयोग की संस्तुति से हुआ।

(iii) ''त्वरित सिंचाई हितलाभ कार्यक्रम''- 138245.60 लाख रु. का अधिक व्यय (67200.00 लाख रु. के पूरक प्रावधान की तुलना में) त्वरित सिंचाई हितलाभ कार्यक्रम और अन्य जल संसाधन कार्यक्रमों के लिए राज्य सरकार को सहायता अनुदान जारी किए जाने के कारण हुआ।

5. अनुदान के पूंजीगत भाग के *प्रभारित* अंश में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

for release of funds to Jammu and Kashmir and Karnataka.

(iii) "Accelerated Irrigation Benefit Programme" - excess of Rs.138245.60 lakhs (against the supplementary provision of Rs.67200.00 lakhs) was due to release of grants-in-aid to State Government for Accelerated Irrigation Benefit Programme and other Water Resources programmes.

5. In the *charged* portion of the capital section of the grant, savings occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल विनियोग Total appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष ''7601'' *राज्य सरकारों को कर्ज तथा उधार (प्रभारित)*	Major Head "7601" *Loans and Advances to State Governments (Charged)*				
मू.	*O.*	*100000.00*			
पू.	*S.*	*467400.00*	*532400.00*	*532347.30*	*–52.70*
पु.	*R.*	*–35000.00*			

(I) *''अर्थोपाय अग्रिम - अन्य अर्थोपाय अग्रिम''* के अंतर्गत *35000.00 लाख* रु. की बचत (*100000.00 लाख* रु. के स्वीकृत *विनियोग* की तुलना में) कुछ राज्यों द्वारा अग्रिमों के लिए अनुरोध प्रस्तुत न किए जाने के कारण हुई।

(I) Under *"Ways and Means Advances - Other Ways and Means Advances"* - saving of *Rs.35000.00 lakhs* (against the sanctioned *appropriation* of *Rs.100000.00 lakhs*) was due to some States had not come forward with their request for advances.